39

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

Rs 301—

R 5481-II/16

रविलाल तनय रामशरण ब्राह्मण निवासी ग्राम धरी थाना तहसील, सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ——————निगरानीकर्ता

बनाम

1— मनोज कुमार द्विवेदी उर्फ मोहनदास तनय रामशरण ब्रा0
2— मनीष कुमार तनय रविकरण ब्रा0
3— सतीष कुमार तनय रविकरण ब्रा0
4— सत्येन्द्र कुमार तनय रविकरण ब्रा0
5— श्रीमती सुखवन्ती पत्नी रविकरण ब्रा0
सभी निवासी ग्राम धरी थाना तहसील, सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
——————गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री रघुवंश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत 26.X.16

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी प्रभारी तहसील सेमरिया/सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 राजस्व प्रकरण क्र0—8अ6/ अपील/ 2014—15 आदेश दिनांक 07.09.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के अधार निम्न है:—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.09.2016 विधि प्रक्रिया व नियमों व तथ्यों के विपरित होने में अपास्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि बटवारा पुल्ली मौके की स्थिति के अनुसार उभयपक्ष की सहमति से बटवारा पुल्ली हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई जिसमें सहमति देकर रेस्पाण्डेट क्र0—01/अपीलार्थी मनोज ने अपने हस्ताक्षर किये थे, बटवारा पुल्ली के आधार पर तैयार नामांतरण पंजी क्र0—23, 24 में साक्षीगणों की उपस्थिति में अपनी सहमति

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5481–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–2017	आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार त्योंथर वृत्त चाक प्र0क0 8/अ–6/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 7–9–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नामांतरण आदेश को अपील में चुनौती दी गई है तथा हस्ताक्षर की जांच विशेषज्ञ से कराये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदक को स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को स्वीकार किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। यदि हस्ताक्षर विशेषज्ञ से हास्ताक्षर की जांच की जाती है तो इससे प्रकरण के गुण–दोष पर निराकरण करने में सहायक होगी। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	